राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............413/2017.............................. जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स लेजर शेविंग प्रोडक्ट प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–सप्तम्, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
24/03/2017	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–338/AA-I/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–सप्तम्, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2012–13 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 30.09.2016 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री अलकेश शर्मा एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि **रूपये 33,77,119/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुंसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 24-3-2017 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	